



2026:AHC:16703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43796 वर्ष 2025

गुंजा कुमारी एवं अन्य

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	अमन पटेल, नीरज सिंह यादव, रोली दुबे
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, संजय शुक्ला

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज सिंह यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री यागवल्क पाण्डेय तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय शुक्ला को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अभियुक्त-आवेदकगण गुंजा कुमारी एवं रंजू देवी की ओर से थाना कैण्ट, जिला गोरखपुर में भा०न०सं० की धारा 137(2), 96 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 17/18 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 538 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर रिहाई की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्हें इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है और वे दिनांक 10.10.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने भा०न०सु०सं० की धारा 180 एवं 183 के अधीन अभिलिखित अपने बयानों में आवेदकगण के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। बल्कि यह कहा है कि उसने सह-अभियुक्त विवेक के साथ विवाह अनुष्ठापित किया। उनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहाई की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दशा में उनके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की याचना का प्रबल विरोध किया है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका, कारावास की अवधि तथा भा०न०सु०सं० की धारा 480(1) के प्रथम परन्तुक के अधिदेश और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदकगण गुंजा कुमारी एवं रंजू देवी को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2. आवेदकगण किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे।
3. आवेदकगण अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें भयभीत नहीं करेंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।
4. आवेदकगण विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उनकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

22 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।